| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 16-11-2015<br>26-11-2015 | **न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय**<br>(जिला विधि शाखा)<br><br>विविध वाद संख्या–19/2013–14<br><br>कमलेश कुमार शांडिल्य<br>बनाम<br>राज्य एवं अन्य<br><br>**आदेश**<br><br>अभिलेख उपस्थापित। अवलोकन किया।<br>आवदेक स्वंय उपस्थित। राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता एवं सिविल सर्जन, लखीसराय उपस्थित। माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक–19.09.13 अंर्तगत writ याचिका C.W.J.C. No. 13994/2009 कमलेश कुमार शांडिल्य बनाम राज्य सरकार व अन्य को देखा। उक्त आदेश के आलोक में आवेदक द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदक के द्वारा बताया गया कि अनुकंपा के आधार पर उनकी नियुक्ति की अनुशंसा दिनांक–28.09.07 को आयोजित जिला अनुकंपा समिति की बैठक में चतुर्थ श्रेणी के पद पर की गयी। जिसके आलोक में आवेदक के द्वारा दिनांक–20.11.2007 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूर्यगढ़ा में निर्दिष्ट पद पर अपना योगदान समर्पित किया। पुनः आवेदक के द्वारा सिविल सर्जन महोदय तथा तत्कालीन जिला पदाधिकारी महोदय से तृतीय श्रेणी में नियुक्ति हेतु आग्रह के उपरांत दिनांक–25.09.08 को आयोजित जिला अनुकंपा समिति की बैठक में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर संवर्ग को परिवर्त्तित करने की अनुशंसा इस शर्त्त के साथ की गई की यदि आवेदक के द्वारा वर्ग–4 के पद पर योगदान न दिया गया हो। इसके उपरांत दिनांक–31.07.09 को सिविल सर्जन के विशेष आग्रह पर जिला अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित की गई तथा आवेदक को तथ्यों को छुपाकर अनुकंपा नियुक्ति पाने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी से पूर्व आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया।<br>राज्य की ओर से उपस्थित सरकारी अधिवक्ता एवं सिविल सर्जन, लखीसराय को सुना। सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक तीन भाई हैं, जिनमें बड़ा भाई जेट एयरवेज में अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। मंझले भाई राजनीति से जुड़े हैं। आवेदक सबसे छोटे भाई हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। आवेदक के पिता सरकारी सेवा में थे, जो वर्त्तमान में सेवानिवृत हो गए हैं। आवेदक की माता स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थी, जिनकी अनुकंपा का लाभ आवेदक को तथाकथित तौर पर दिया जाना है। वर्त्तमान में आवेदक के परिवार के सभी सदस्य Self Dependent हैं साथ ही आवेदक की माता की मृत्यु के उपरांत पेंशन का भुगतान 12658=00(बारह हजार छः सौ अंठावन) रू0 मासिक किया जा रहा है। स्पष्ट है कि आवेदक के पिता दोहरा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक एवं उनके परिजनों के पास जमीन भी है, जिससे उन्हें नियमित आय प्राप्त होती है। आवेदक के द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाया गया है।<br>उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा आय संबंधी विभिन्न श्रोतों को जान–बूझकर छिपाया गया है। इस संबंध में बिहार सरकार, कार्मिक विभाग, ज्ञाप संख्या 3/आर 1–304/73 का0–12754, दिनांक–12 जुलाईए 1977 जो सेवाकाल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के | |

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

चलते उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य सरकार के अधीन वर्ग–3 एवं वर्ग–4के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता से संबंधित है के कंडिका–1 में स्पष्ट उल्लेख है कि "मृत सरकारी सेवक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छा न हो, अर्थात उस परिवार का कोई भी सदस्य किसी प्रकार का जीविकोपार्जन का कार्य न करता हो और यदि करता भी हो तो उसकी आमदनी पूरे परिवार के साधारण भरण–पोषण के लिए अपर्याप्त हो एवं उसकी सम्पत्ति और देनदारी को देखते हुए इस प्रकार की सहूलियत देना जायज हो" साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बेहार, पटना के पत्र संख्या–13293, दिनांक–05.10.91 की कंडिका 1(ड) में स्पष्ट निदेश है कि यदि पति–पत्नी दोनो सरकारी सेवा में हो और किसी एक की मृत्यु हो जाय तो वैसी स्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ इनके परिवार के किसी आश्रित को नहीं मिलेगा। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No. –7264/2003 ज्योति कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–21.10.2005 को पारित आदेश के कंडिका–2 में उल्लखित है "In view of the policy of the Government when both husband and wife are Government employees, then on the death of one of them, no appointment on compassionate ground can be provided."

उपरोक्त नियमावलियों के आधार पर आवेदक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पान का हकदार नहीं है। स्पष्ट है कि अनुकंपा किसी ऐसे सरकारी सेवक के आश्रित के लिए होता है जिनकी मृत्यु के उपरांत उनके जीविकोपार्जन का कोई आर्थिक आधार न हो। आवेदक एवं उनके परिजनों यथा पिता एवं भाईयों की आमदनी काफी अच्छी है। आवेदक के द्वारा वाद की कार्यवाही में स्वंय बहस किया गया। उन्हें किसी प्रकार की अनुकंपा के लाभ की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

लेखापित/संशोधित

26/11/15

जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

26/11/15

जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांक– 1109 विधि, दिनांक– 26.11.15

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सूचना केन्द्र, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कमलेश कुमार शांडिल्य, पे0–राम बहादुर राय, सा0–सूर्यगढ़ा प्रखंड कार्यालय के नजदीक, पोस्ट व थाना–सूर्यगढ़ा, जिला–लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

26/11/15

जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।



(2)